बिहार मानवाधिकार आयोग (बी0एच0आर0सी0)

9, बेली रोड, पटना

संचिका संख्या–**BHRC/Comp-5707/4/5/2020–JCD)**

Suo-Motu Cognizance

विषय : नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत बिहपुर थाना में पुलिस अभिरक्षा में पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु/हत्या से संबंधित मामला।

04.12.2020

नवंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में कई स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में इस आशय का समचार प्रकाशित हुआ था कि **बिहार राज्य के भागलपुर जिला (नवगछिया पुलिस जिला) के अन्तर्गत बिहपुर थाना में पुलिस अभिरक्षा में एक 30 वर्षीय व्यक्ति, आशुतोष कुमार पाठक, की उसे प्रताड़ित व मार–पीट कर पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गयी है।**

बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा उपरोक्त प्रकाशित समाचार को गंभीर प्रकृति का मानते हुए **स्व–प्रेरणा से मामले का संज्ञान** लेकर जिला पदाधिकारी, भागलपुर व पुलिस अधीक्षक, नवगछिया से प्रसंगाधीन मामले से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी साथ–ही–साथ मृतक, आशुतोष कुमार पाठक, की पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति के संबंध में भी प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् आयोग को ब्रजेश मिश्र, कार्यक्रम संयोजक, चाणक्य विकास मोर्चा अमित कश्यप, 47 शिवपुर, गोड्डा व सुजीत कुमार झा, जिला सचिव, काँग्रेस, भागलपुर से उपरोक्त आशय का तीन अलग–अलग परिवाद प्राप्त हुई। चूंकि पूर्व में ही आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जा चुका था, अतः उपरोक्त तीनों परिवादों से संबंधित क्रमशः वाद संख्या–5706/4/26/2020, 5703/4/5/2020 व 5924/4/5/2020 को उसके मूल संचिका **Suo-Moto 5707/4/5/2020** के साथ समामेलित कर

दिया गया। आज समामेलित सभी संचिकाओं पर आयोग द्वारा एक साथ कर समेकित रूप से आदेश पारित किया जा रहा है।

मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

दिनांक 24.10.2020 को आशुतोष कुमार पाठक ऊर्फ अप्पू पाठक, उम्र 33 वर्ष, पुत्र स्व0 अजय पाठक, निवास–स्थान, ग्राम मंडवा, थाना बिहपुर (झंडापुर ओ0पी0), जिला भागलपुर, अपनी पत्नी, स्नेहा कुमारी ऊर्फ स्नेहा पाठक व अपने दो वर्षीय पुत्री, माणवी पाठक के साथ अपनी मोटरसाईकिल से भ्रमरपुर दुर्गा स्थान में पूजा–अर्चना करने के पश्चात् मंडवा स्थित अपने पैतृक निवास स्थान जा रहे थे तभी महेश स्थान चौक, एन0एच0–31, के पास ज्योंहि वे लोग अपराह्न करीब 03:00 बजे पहुंचे तो वहां उपस्थित बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, रंजीत कुमार मंडल उर्फ रंजीत कुमार, संविदा पर प्रतिनियुक्त अपने निजी चालक, मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम व उनके साथी पुलिसकर्मियों द्वारा सिविल ड्रेस में जबरदस्ती आशुतोष कुमार पाठक को रोक कर उसके साथ गाली–गलौज किया जाने लगा। श्री पाठक द्वारा इसका विरोध करने पर बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, रंजीत कुमार मंडल व उनके साथी पुलिसकर्मियों द्वारा अपने–अपने हाथों में लिए हुए डंडा व अग्नेयास्त्र के कुंदों से श्री पाठक को बुरी तरह मारते हुए पुलिस गाड़ी में बिठाकर बिहपुर थाना परिसर ले जाया गया तथा हाजत में बन्द कर दिया गया। बिहपुर थाना के हाजत में भी श्री पाठक के साथ उक्त पुलिसकर्मियों व उनके साथियों द्वारा बुरी तरह मार–पीट किया गया जिसके फलस्वरूप उसके नाक और मुंह से रक्त–स्त्राव होने लगा। रक्त–स्त्राव होने के बाद भी बिहपुर थाना के हाजत में उपरोक्त कथित पुलिसकर्मियों व उनके साथियों द्वारा लगातार श्री पाठक के साथ मार–पीट की जाने लगी जिससे उसके शरीर का बहुत सारा खून हाजत में ही बह गया। श्री पाठक की पत्नी, परिजन व चाचा, प्रफुल्ल कुमार पाठक, द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के बाद भी उन्हें श्री पाठक से मिलने नहीं दिया गया। जब श्री पाठक की मरणासन्न स्थिति हो गयी तो उसे हाजत से बाहर निकाल कर श्री पाठक

के चाचा, प्रफुल्ल कुमार पाठक के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय श्री पाठक के शरीर में सर से पांव तक काफी चोट के निशान थे तथा उसका शरीर खून से लथपथ था। श्री पाठक के परिजन एम्बुलेन्स से श्री पाठक को सर्वप्रथम बिहपुर के एक निजी अस्पताल में उसे ले गये जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात् उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर चिकित्सा हेतु मायागंज अस्पताल, भागलपुर भेजा गया, जहां ईलाज के दौरान रात्रि करीब तीन–चार बजे श्री पाठक की मृत्यु हो गयी।

पुलिस अधीक्षक, नवगछिया द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया श्री दिलीप कुमार के प्रतिवेदन व मामले से संबंधित सुसंगत कागजातों को अनुलग्नित कर आयोग को अग्रसारित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया ने अपने प्रतिवेदन में बिहपुर थाना परिसर में बिहपुर थाना के 1. तत्कालीन थानाध्यक्ष, रंजीत कुमार, 2. बिहपुर के अन्य पुलिसकर्मियों (स0अ0नि0 शिवबालक प्रसाद, गृह रक्षक 370255 मनोज कुमार चौधरी, गृहरक्षक 370477 राजो पासवान ऊर्फ राजू पासवान व थाना के जीप के निजी चालक मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम) द्वारा आशुतोष कुमार पाठक के साथ मार–पीट करने व हाजत में गंभीर रूप से मार–पीट करने से संबंधित तथ्य का समर्थन किया गया है तथा उनका यह भी कथन है कि हाजत में गंभीर रूप से जख्मी हालत में बंद रहने के दौरान आशुतोष कुमार पाठक की हालत खराब हो गयी तथा उसके शरीर से अत्यधिक रक्त–स्त्राव होने के कारण वह अचेतावस्था में आ गया था। पुलिस का यह भी कथन है कि करीब तीन घंटे बाद जब आशुतोष कुमार पाठक के परिजन झंडापुर ओ0पी0 थानाध्यक्ष के साथ बिहपुर थाना पहुंचे तब जाकर जख्मी आशुतोष कुमार पाठक को ईलाज के लिए भेजा गया तथा ईलाज के दौरान दिनांक 25.10.2020 के सुबह करीब चार–पांच बजे उसकी दुखद मृत्यु हो गयी। लेकिन पुलिस का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि घटना उस समय घटी जब दिनांक 24.10.2020 को अपराह्न करीब तीन बजे **भ्रमरपुर दुर्गा स्थान** के पास दो अलग–अलग मोटरसाईकिल पर सवार युवकों को आपस में

उलझते देखकर तत्कालीन बिहपुर थानाध्यक्ष, पु0अ0नि0, संजीत कुमार अपने निजी चालक मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम के साथ वहां पहुंचे तथा मामले को समझाने का प्रयास किये कि इसी बीच मृतक, आशुतोष कुमार पाठक ने पु0अ0नि0, रंजीत कुमार पर **फैट–मुक्का** से वार कर दिया जिस पर पु0अ0नि0, रंजीत कुमार अपने निजी चालक मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम के साथ मिलकर श्री पाठक के साथ मार–पीट कर उसे जख्मी कर दिया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आशुतोष कुमार पाठक की मृत्यु के बाद उसके चाचा प्रफुल्ल कुमार पाठक के द्वारा झंडापुर ओ0पी0 के थानाध्यक्ष को घटना के संबंध में दिनांक 25.10.2020 को एक लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके आधार पर बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार मंडल, प्रतिनियुक निजी चालक मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम व बिहपुर थानाध्यक्ष के अज्ञात पुलिसकर्मी साथियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत बिहपुर (झंडापुर ओ0पी0) थाना कांड संख्या–443/2020, दिनांक 25.10.2020 संस्थित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदनानुसार कांड संख्या–443/2020 के अन्वेषण के क्रम में बिहपुर थाना के 1. तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, 2. निजी चालक मोहम्मद जहाँगीर राईन ऊर्फ आलम, 3. स0अ0नि0, शिवबालक प्रसाद, 4. गृहरक्षक मनोज कुमार चौधरी व 5. गृहरक्षक राजो पासवान ऊर्फ राजू पासवान के विरूद्ध घटना में उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया तथा वर्तमान में कांड अन्वेषणान्तर्गत है। दोषी पुलिसकर्मियों 1. पु0अ0नि0, रंजीत कुमार व स0अ0नि0, शिवबालक प्रसाद को तत्काल निलंबित कर दिया गया जबकि दोनों गृहरक्षकों को छः माह के लिए सेवा से वंचित करने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया। पुलिस प्रतिवेदनानुसार प्राथमिकी अभियुक्त पु0अ0नि0, रंजीत कुमार को छोड़कर घटना में संलिप्त पाये गये शेष चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है जबकि प्राथमिकी अभियुक्त रंजीत कुमार के फरार रहने के कारण उसके

विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है तथा अभी भी वह फरार है।

कांड के मृतक आशुतोष कुमार पाठक के चाचा प्रफुल्ल कुमार पाठक द्वारा थाना में दिये गये लिखित आवेदन तथा पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के प्रतिवेदन से प्रस्तुत मामले में एक स्वीकृत तथ्य है कि **आशुतोष कुमार पाठक एक निर्दोष व्यक्ति था तथा उसके साथ बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, रंजीत कुमार व उसके साथी पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुए अनावश्यक रूप से उसकी पत्नी व दो वर्षीया अबोध पुत्री के समक्ष गंभीर रूप से मार–पीट किया गया। इतना ही नहीं उन पुलिसकर्मियों द्वारा मानवता को शर्मसार करते हुए आशतोष कुमार पाठक को बिहपुर थाना के हाजत में लाकर अमानवीय ढंग से मार–पीट किया गया जिससे वह हाजत में ही अचेत हो गया तथा तीन घंटे तक उसे हाजत में अचेतावस्था में रखा गया व बाद में उसके परिजनों के आने पर उसे ईलाज हेतु अस्पताल लाया गया जहां सुबह के करीब चार–पांच बजे उसकी दुःखद मृत्यु हो गयी।** मृतक आशुतोष कुमार पाठक के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व Post Mortem Report से भी उसके साथ गम्भीर रूप से मार–पीट किए जाने सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि होती है। PM Report में उसके मृत्यु का कारण Haemorrhage and shock due to above noted all injuries बताया गया है।

एक सम्य समाज में इस तरह की घटना कारित किया जाना अस्वीकार्य है तथा ऐसे मामलों में सरकार को दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कठोरत्तम उदाहरणीय दंड दिया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य कोई भी पुलिस कर्मी ऐसे जघन्य कृत्य को करने का दुस्साहस न कर सके।

दोषी पुलिसकर्मियों पर मात्र आपराधिक व प्रशासनिक कार्रवाई करने से मृतक आशुतोष कुमार पाठक के परिजनों के साथ में न्याय नहीं हो सकता है।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार मृतक आशुतोष कुमार पाठक को एक और भाई, सूरज पाठक हैं, जो वर्तमान में दुमका विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं। मृतक आशुतोष कुमार पाठक के पिता अजय कुमार पाठक की मृत्यु हो गयी है। मृतक आशुतोष कुमार पाठक के आश्रित, उसकी पत्नी, 30 वर्षीय स्नेहा पाठक हैं, जिन्हें एक पुत्री माणवी पाठक है, जिसकी उम्र करीब दो वर्ष है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार मृतक आशुतोष कुमार पाठक, पुणे में प्राईवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लॉकडाउन के कारण वह वापस अपने घर आ गये थे। मृतक आशुतोष कुमार पाठक को अपने भाई सूरज पाठक के साथ संयुक्त रूप से ग्राम मंडवा में दो कमरा का पैतृक मकान है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार मृतक आशुतोष कुमार पाठक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। भरी जवानी में उनकी पत्नी, स्नेहा पाठक, को स्वयं के साथ–साथ अपनी दो वर्षीय पुत्री का भरण–पोषण करना है।

उपरोक्त परिस्थिति में मामले पर पूर्ण विचारोपरान्त आयोग प्रसंगाधीन मामले में मृतक के आश्रित पत्नी, स्नेहा पाठक, को क्षतिपूर्ति देना अपना कर्त्तव्य समझता है।

अतः प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण का गंभीर मामला पाते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरान्त आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंशा की जा रही है :–

1. जिला पदाधिकारी, भागलपुर, मृतक आशुतोष कुमार पाठक की विधवा, स्नेहा पाठक, को उसके उचित पहचान पर, रु0–7,00,000/– (सात लाख रुपये) क्षतिपूर्ति की राशि दिनांक 10.02.2021 के पूर्व भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

2. **राज्य सरकार को यह विकल्प प्राप्त है कि वह क्षतिपूर्ति की उपरोक्त राशि को कांड के दोषी पुलिसकर्मियों से नियमानुसार वसूल कर सकती है।**

कार्यालय आज **पारित आदेश**, समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग (संचिका संख्या 5707/4/5/2020 का पृष्ठ–05–01/प0) व पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के प्रतिवेदन (पृष्ठ–21–07/प0) को संलग्न कर 1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना, 2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, 3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर, 4. वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर व 5. पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उनसे दिनांक 10.02.2021 के पूर्व तक **अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की जाय।**

संचिका दिनांक 15.02.2021 को अनुपालन प्रतिवदेन के प्रत्याशा में उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक